

::आदेश::

शासनादेश संख्या -493 / 11-3-14-125/03 दिनांक 23-05-2014 से प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग वाहन चालक संवर्ग के पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति के संस्तुति के आधार पर वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत निम्न लिखित ग्रेड-1 के वाहन चालकों को विशेष ग्रेड (ग्रेड पे-4600/-) पर कार्यभार ग्रहण करने तिथि से विशेष ग्रेड (वेतन बैण्ड-1-9300-34800+4600) पर पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	ज्ये०क्र०	कार्मिक का नाम / पिता का नाम	तैनाती का जोन / सम्भाग	अभियुक्ति
1-	109	श्री मुनीस कुमार / श्री रन सिंह	नोएडा	विशेष ग्रेड
2-	141	श्री हफीर्जुरहमान / हफीजुल्लाह	बलिया	विशेष ग्रेड
3-	142	श्री चन्दन लाल / श्री केदार नाथ	लखनऊ	विशेष ग्रेड
4-	144	श्री रामकवल यादव / श्री रामसकल यादव	फतेहपुर	विशेष ग्रेड
5-	146	श्री हरिप्रसाद / हीरा लाल	लखनऊ	विशेष ग्रेड
6-	148	श्री विजयपाल तिवारी / श्री सीताराम तिवारी	वाराणसी	विशेष ग्रेड
7-	149	श्री रज्जब अली / श्री शकूर खॉ	गाजियाबाद	विशेष ग्रेड
8-	150	श्री रामखेलावन / श्री खेमकरन	मुख्यालय	विशेष ग्रेड

क्रमांक 01 पर अंकित कार्मिक ""चयन वर्ष 2013-2014, 14-15 व 15-16 के लिए गठित चयन समिति"" ने श्री मुनीस कुमार पुत्र श्री रन सिंह की वार्षिक प्रविष्टियाँ अपूर्ण होने के कारण उन्हें अनुपयुक्त पाया था। इस कारण इनका यह पद सुरक्षित किया गया था। श्री मुनीस कुमार को दिनांक 15-09-2016 से नोशनल पदोन्नति दी जाती है। उक्त अवधि का कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही विशेष ग्रेड का वेतन आदि देय होगा।

2- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही वाहन चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण करायें।

3- सेवा अभिलेखों के आधार पर यदि उक्त में से किसी वाहन चालक के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसके बारे में किया गया पदोन्नति आदेश प्रभावी नहीं होगा तथा इसकी सूचना सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्यालय प्रेषित की जायेगी।



(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प०सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 2- सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3- सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- सम्बन्धित कर्मचारियों को नाम से।
- 6- सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका हेतु।
- 7- आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय, लखनऊ।


27.10.17

(वीरेन्द्र नारायण वर्मा)
डिप्टी कमिश्नर(स्था0अरा0)वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।